न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 449/2019 (195/2019)
GCMS NO. : 2019/00183

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. सत्यदेव पुत्र शुभकरण जाति– चारण, निवासी– कांवलिया खुर्द, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।		1. पाबुराम पुत्र हरजीराम 2. बगदुडी पुत्र हरजीराम 3. महाराम पुत्र घेवरराम 4. हडमानराम पुत्र घेवरराम 5. तेजाराम पुत्र घेवरराम 6. पीराराम पत्नी केसाराम 7. मांगीलाल पुत्र केसाराम जातियान– मेघवाल निवासी–कांवलिया खुर्द तह.जैतारण जिला–पाली। 8. आईदान पुत्र अम्बादान फौत के उत्तराधिकारी गोपालदान पुत्र मूलदान 9. फतेहदान पुत्र अम्बादान फौत के का.मु. गोपालदान पुत्र मूलदान 10. गंगादान पुत्र अम्बादान फौत के कायम मुकाम– 10/1. शिवराज पुत्र भवानीदान 10/2. महावीर पुत्र भवानीदान 10/3. गिरधारीसिंह पुत्र भवानीदान 10/4. रतनसिंह पुत्र भवानीदान 10/5. भोमसिंह पुत्र भवानीदान 11. जवाहरदान पुत्र मंगलदान फौत के उत्तराधिकारी लक्ष्मण कविया पुत्र गिरवरदान 12. हणुतदान पुत्र मंगलदान के उत्तराधिकारी लक्ष्मण कविया पुत्र गिरवरदान 13. SBBJ (SBI) शाखा–आनन्दपुर कालू 14. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकास्मा आराजी अन्तर्गत धारा 88 ,92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 30/09/2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:06 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–
1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 28/ /2021

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकास्मा आराजी अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण 1 से 7 की शामलाती व कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा कांवलिया खुर्द में वाके है जिसका विवरण निम्न है खसरा संख्या 635 रकबा 03-12 किस्म बारानी अव्वल है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा के काविज खातेदार काश्तकार वादी है व 1/2 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 है व प्रतिवादी संख्या 8 से 12 के नाम का गलत इन्द्राज दर्ज है, जो एक रोंग एन्ट्री है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा न 635 की जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश है, जिसे वाद का एक भाग माना जावे । उक्त खसरा न 635 की भूमि को वाद में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम के नाम से संम्बोधित किया जायेगा। पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वक्त सेंटलमेन्ट के पूर्व से यानी 15.10.1955 के पूर्व से वादी व वादी के स्व0 पिता शुभकरण पुत्र गंगादान जी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज थे और तब से यानी 15.10.1955 के पूर्व से आज दिन तक वादी व वादी के पिता बतौर खातेदार काश्तकार लगातार काबिज है व काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1 सं 7 का का 1/2 हिस्सा है। दोनो के मध्य हिस्से अनुसार मौके पर बंटी हुई है व अलग अलग कब्जा व काश्त है। प्रतिवादी संख्या 8 से 12 उक्त भूमि के वक्त जागीर जागीरदार होने से वादी के 1/2 हिस्से की भूमि में गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का गलत नाम दर्ज हो गया जबकि प्रतिवादीगण संख्या 8 से 12 पिछले 70 वर्षो से अधिक समय से आउट ऑफ पजेशन है जो पिछले 70 वर्षो से अधिक समय से मौजा कुशलपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर में निवास करते है। उनका वादीगण का 1/2 हिस्सा काबिज काश्त की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा अधिकार कब्जा व काश्त न तो था न है। इसमें एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार वादी ही है। प्रतिवादीगण संख्या 8 से 12 के नाम जमाबंदी खतौनी व राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के रूप में दर्ज है। जिसे जरिये दुरस्ती हटवाकर उनके स्थान पर यानी 1/2 हिस्से में वादी आना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी उक्त 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार ऐसी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दावा घोषणा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है । वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 8 से 12 को बार बार रेकर्ड दुरस्ती [illegible] मगर आज दिन तक रेकर्ड दुरस्ती नही करवाया [illegible] के बावजुद भी कोई कार्यवाही नही की इसलिए दावा [illegible] स्थाई निषे[illegible] बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 का 1/2, 1/2 हिस्से की मौके पर भूमि बंटी हुई है व प्रतिवादी संख्या 8 से 12 [illegible]नाम रोंग एन्ट्री है व वादी उनके नाम दर्ज 1/2 हिस्से की भूमि का काबिज खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

काश्तकार है व वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने के पश्चात् वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकास्मा किया जावे व वादी के 1/2 हिस्से की भूमि की मौके पर नेखमबंदी कर पत्थरगढी किया जावे व वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का खाता अलग दर्ज किया जावे व वादी के 1/2 हिस्से की भूमि बाद बंटवारा नक्शा ट्रेस में जरिये तरमीम अलग दर्शायी जावे व वादी के 1/2 हिस्सा का लगान अलग किया जावे ऐसी तकारमा की डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी है । इसलिए दावा तकारमा आराजी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद घोषणा व बाद तकास्मा आराजी के वादग्रस्त भूमि के वादी के 1/2 हिस्से की भूमि में वादी काश्त करें या करवावे या किसी प्रकार के दखल व दस्तअंदाजी करने व करवाने से रुकवाने का वादी अधिकारी है। यदि वादी के 1/2 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी स्वयं या उनके नौकर हाली ऐजन्ट द्वारा किसी प्रकार की दखल व दस्तअंदाजी की गई व इस भूमि व इसके किसी भू भाग से प्रतिवादीगण द्वारा रोक टोक व बेदखल करने पर वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर में संभव नही है व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी उन्हे ऐसा हरगिज नही करने देंगा, जिससे टंटा फसाद होगा व मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग होगी व वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नही है । इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा का बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है । यह है कि तकारमा आराजी के वाद में लैण्ड ह०ल्डर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण होने से उन्हे इस वाद में पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है । यह है कि प्रतिवादी संख्या 5 तेजाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि SBBJ (SBI) शाखा आ.कालू. में रहन रखी हुई है इसलिए बैंक को इस वाद में पक्षकार बनया गया है । वाद हेतू दिनांक 15.09.2019 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का नाम रोंग एन्ट्री है उसे हटाने व दुरस्त कराने को कहने व जमीन का बंटवारा का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर बमुकाम कावलिया खुर्द तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो अंदर मयाद व हद अखत्यार समायत अदालत वाला के है ।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। गैरसायलान संख्या 13 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, [illegible] है। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को बार बार [illegible] गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित [illegible] इनके वि[illegible] एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के [illegible] P/W 01, P/W 02 दिनांक 03.03.2021 को पेश किया, दस्तावेजात् प्र[illegible] करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज0 सम्वत् 2075 से 2078 (प्रदर्श–1) का अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं संगत विधिक प्रावधानों के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

1. वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि ग्राम कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 635 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में दर्ज नाम गलत इन्द्राज है जिसे हटाया जाकर उसके स्थान पर वादी को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर डिक्री पारित की जावे। वादग्रस्त आराजी में वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का मौके पर तकास्मा कर तरमीम दर्ज की जावे व खाता व लगान अलग की जाकर तकास्मा की डिक्री पारित फरमावें।
2. वादी द्वारा बतौर साक्ष्य वादी PW-1 वादी सत्यदेव पुत्र शुभकरण का साक्ष्य शपथ पत्र, PW-2 वादी के पक्ष में साक्षी/प्रतिवादी संख्या 1 पाबूराम पुत्र हरजीराम का साक्ष्य शपथ–पत्र, प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी ग्राम कांवलिया खुर्द सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श करवाए गये।
3. जमाबंदी ग्राम कांवलिया खुर्द सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–1 में वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 बर्तार खातेदार दर्ज है। वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि वर्णित कृषि भूमि पर वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से यानी दिनांक 15.10.1955 के पूर्व से वादी व वादी के स्व. पिता शुभकरण पुत्र गंगादान जी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज थे एवं तब से लेकर आज तक वादी एवं वादी के पिता बतौर खातेदार काश्तकार लगातार काबिज व काश्त करते आ रहे है। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी (प्रदर्श–1) के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि कब से, किस प्रकार एवं किसके आदेश से वादी एवं वादी के पित[illegible] में सेटलमेण्ट पूर्व से काबिज थे? वादी ने यह भी कथन किया है कि [illegible] दिनांक तक वादी एवं वादी के पिता बतौर खातेदार काश्तकार लगातार [illegible] व काश्त करते आ रहे है। वादी द्वारा उक्त कथनों [illegible] हेतु कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे की वादी के उक्त [illegible] साबित होते हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

4. वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 8 से 12 के नाम जमाबंदी खतौनी व राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी द्वारा उक्त कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादी वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 से 12 का नाम गलत इन्द्राज के कथन किये है परन्तु प्रतिवादी सख्ंया 8 से 12 का वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में इन्द्राज किस प्रकार से गलत है के सम्बन्ध में न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया और न ही कोई कथन किये है जिससे की वादी के उक्त कथन साबित होते हो।

5. उक्त विवेचन के आधार पर वादी यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की घोषणा अपने पक्ष में करवाने के अधिकारी है। साथ ही वादी वादग्रस्त आराजी में सह–खातेदार के तौर पर दर्ज नहीं है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से व प्रतिवादी सख्ंया 1 से 7 के 1/2 हिस्से का तकास्मा चाहे जाने का एवं स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अनुतोष सारहीन साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि वादी अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। अतः वादी का वाद भली भांति साबित न होने व सारहीन होने से हम अस्वीकार किया जाना विधि–सम्मत समझते है।

–:: आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में राजस्व वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकास्मा आराजी अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, भली–भाँति साबित न होने व सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:06 IST
Reason: SelfAttested

<u>डिक्री बमुकदमें इब्तदाई</u>

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–: वादीगणः– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादीगण:

1. सत्यदेव पुत्र शुभकरण जाति– चारण, निवासी– कांवलिया खुर्द, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

प्रतिवादीगण:

1. पाबुराम पुत्र हरजीराम
2. बगदुडी पुत्र हरजीराम
3. महाराम पुत्र घेवरराम
4. हडमानराम पुत्र घेवरराम
5. तेजाराम पुत्र घेवरराम
6. पीराराम पत्नी केसाराम
7. मांगीलाल पुत्र केसाराम
   जातियान– मेघवाल
   निवासी–कांवलिया खुर्द तह. जैतारण जिला–पाली।
8. आईदान पुत्र अम्बादान फौत के उत्तराधिकारी गोपालदान पुत्र मूलदान
9. फतेहदान पुत्र अम्बादान फौत के का.मु. गोपालदान पुत्र मूलदान
10. गंगादान पुत्र अम्बादान फौत के कायम मुकाम–
    10/1. शिवराज पुत्र भवानीदान
    10/2. महावीर पुत्र भवानीदान
    10/3. गिरधारीसिंह पुत्र भवानीदान
    10/4. रतनसिंह पुत्र भवानीदान
    10/5. भोमसिंह पुत्र भवानीदान
11. जवाहरदान पुत्र मंगलदान फौत के उत्तराधिकारी लक्ष्मण कविया पुत्र गिरवरदान
12. हणुतदान पुत्र मंगलदान के उत्तराधिकारी लक्ष्मण कविया पुत्र गिरवरदान
13. SBBJ (SBI) शाखा–आनन्दपुर कालू
14. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:06 IST
Reason: SelfAttested

मु0न0 :रा0वा0 [illegible]

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा आराजी अन्तर्गत धारा 88 ,92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, 92ए एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो, निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 06/10/2021 को जारी किया गया।

माफिक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	7.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	14.00	मिजानः–	1.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:06 IST
Reason: SelfAttested